

Form No. III

App-Z  
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम : अधिशाही अभियंता, न.प.दा.प.वि.का.ग.

कस मुकदमा : 21/2024

नं० 116/2022 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
5 29 024	पत्रावली पेश हुई... अधिशाही अभियंता संघ द्वारा ... कार्यवाही कार्य रूपांगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/2024 को पेश की जावे। S.D.O.	
07 06 24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा बहस सुनाने हेतु अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 03/07/2024 को पेश है। S.D.O.	
3 07 2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा बहस सुनाने हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 25/7/2024 को पेश हो। S.D.O.	
25 07 2024	पत्रावली पेश हुई, P.O.- सादर राजकार्य में व्यस्त होने से। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश की जावे। S.D.O.	
20 08 2024	पत्रावली पेश हुई, अधिशाही संघ द्वारा कार्यवाही कार्य रूपांगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश की जावे। S.D.O.	Not press B court
28 08 2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में Not-process कर निवेदन किया कि पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा S.D.O.	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

# Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा


शंभुलाल

बनाम. शिक्षात्री अभियंता जलदाय विभाग

किस्म मुकदमा..... प्रार्थना पत्र

नं० ..... 11.6

सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस जारी हुए
	<p>पत्रावली में Not-press कर कोई अभिन्न कार्यवाही नहीं जाहने से पत्रावली को इसी स्तर पर विद्वी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल बुझार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	